न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/टी.ए./176/2002/राजसमंद

1– कालू पुत्र केसा पुत्र बलाई निवासी खमनोर तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
2– बक्ता पुत्र केसा बलाई

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1– रामा पुत्र किशना बलाई
2– भंवरिया पुत्र किशना बलाई
3– मांगीलाल पुत्र दल्ली बलाई
समस्त निवासीगण खमनोर तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
4– नानी बाई पुत्री दल्ला बलाई पत्नी हीरालाल बलाई निवासी उसरवास पोस्ट उसरवास तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

.....प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ
श्री वी0 श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री सूरजभान जैमन, सदस्य

उपस्थित :
श्री पूर्णाशंकर दशोरा, अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता प्रत्यर्थी।

निर्णय

दिनांकः– 20 सितम्बर, 2018

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 112/1987 में पारित निर्णय दिनांक 28–8–2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रत्यर्थीगण/वादीगण ने अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण के पिता केसा के विरूद्ध न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) नाथद्वारा के समक्ष एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 182 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 इस आशय का पेश किया कि ग्राम खमनोर तहसील नाथद्वारा में खसरा नंबर 1673/2, 2950, 2951, 2952 कुल किता 4 रकबा 17 बीघा 9 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त आराजियात संवत 1924 के मगसर सुद 15 को 301/– रूपये में वादीगण के बाप–दादा श्रीकरमा, भतीज, देवा, गांगाजी ने नगजी, भोपजी मांडोत से लेकर रहन रखी तथा रहननामा लिखा गया। तत्पश्चात् इसी आराजियात पर संवत 2031 को 479/– रूपये और जरिये रहन ले रहननामा लिखा । नगजी, भोपजी के वारिसान चमनलाल, लालू, दलीचन्द्र तथा त्रिलोकचन्द ने वर्णित आराजियात में से आराजी नंबर 1673/2, 2950, 2951 को 401/– रूपये में देवीचन्द्र, केसरीलाल मोदी निवासी खमनोर से संवत 1950 को लेकर रहननामा लिख उक्त आराजियात रहन बिन कब्ज कर दी और दर रहन दर देवीचन्द्र, केसरीलाल के वारिसान तोलाराम पिता केसरीलाल, नाथूलाल, अर्जुनलाल पिता वरदीचन्द्र मोदी ने संवत 2013 दिनांक 10–7–56 को 521/– रूपये प्रतिवादी से ले जरिये दर रहन कर कब्जे दे दी और रहननामा लिख दिया। तब से प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर काबिज है। आराजी नंबर 2952 में मुर्तहीनान के वारिसान भंवरलाल, चन्नीलाल में से भंवरलाल रूपचन्द्र के यहां गोद चला गया, चुन्नीलाल पिता त्रिलोकचन्द्र व अर्जुनलाल पिता दलीचन्द्र मांडोत ने रहन के रूपये 259/– संवत 2016 को प्रतिवादी से ले जमीन रहन बिलकब्ज कर दी व असल रहननामें पर इन्डोस्मेन्ट कर दे दिया। इस आधार पर प्रतिवादीगण काबिज है। प्रतिवादी का कब्जा विवादित आराजियात पर दिनांक 12–12–59 से नाजायज है तथा कब्जा वादी को सुपुर्द नहीं किया है। अतः वादीगण को प्रतिवादीगण से विवादित भूमि का कब्जा दिलाया जावे तथा मुआवजा भी दिलाया जावे। प्रतिवादी द्वारा वाद कथनों से इन्कार करते हुए अपना जवाबदावा पेश किया गया, साथ ही यह भी कथन किया कि वाद पत्र में कलम संख्या 2 में नामांकित व्यक्ति स्वयं प्रतिवादी के बाप–दादा थे। उनका

वादीगण से कोई संबंध नहीं था। इस प्रकार रहनकर्ता व रहनग्रहिता एक ही व्यक्ति हो गये है। जिससे रहन स्वतः समाप्त हो जाता है। रहन की अवधि तत्कालीन कानून के अनुसार समाप्त हो गई थी जिससे रहनकर्ताओं के जो भी अधिकार थे, वो समाप्त हो गये। उक्त आराजियात वक्त भू प्रबंध कार्यवाही निर्णय होकर प्रतिवादी को खातेदार काश्तकार मान लिया है तथा माननीय राजस्व मण्डल से भी निर्णय हो चुका है। वादी ने खातेदारी घोषित कराये बिना ही यह वाद धारा 182 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जावे। दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत दावा, जवाबदावा एवं प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य तथा गवाहान के बयान के मद्देनजर परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा ने तनकीयात कायम करते हुए अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 31–03–1997 द्वारा वीदगण का वाद खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर वादीगण ने न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के समक्ष अपील पेश की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 28–8–2001 द्वारा अपील स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31–03–97 अपास्त किया, साथ ही प्रकरण अपने आब्जरवेशन के अनुसार अतिरिक्त तनकी बनाई जाकर सभी तनकीयात का निर्णय उभय पक्षकारान की साक्ष्य ली जाकर अजसरेनो निर्णय करने हेतु परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया। उक्त निर्णय दिनांक 28–8–2001 से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण द्वारा पेश की गई है।

3– हमनें विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी।

4– विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का कथन है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण परीक्षण न्यायालय को इस आधार पर प्रतिप्रेषित किया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा जो तनकी संख्या 7 बनाई गई है वह उचित नहीं है तथा नवीन तनकी संख्या 7 ‘‘आया विवादित भूमि का निर्णय माननीय राजस्व मण्डल के द्वारा प्रतिवादीगण के पक्ष में कर

दिया गया है, इसका दावे पर क्या असर होगा।'' निर्मित की जाकर दोनों पक्षों की पुनः साक्ष्य ली जाकर तथा बहस सुनी जाकर अजसरेनो निर्णय पारित किया जावे। विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि यदि प्रथम अपीलीय न्यायालय कोई नई तनकी निर्मित करती है तो उसका निर्णय भी स्वयं अपने स्तर से कर सकती है। उनके द्वारा इस नवीन तनकी के बारे में कोई विवेचन किये बिना ही परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित सम्पूर्ण निर्णय व डिक्री को अपास्त कर प्रकरण परीक्षण न्यायलय को पुनः निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित करने में भारी कानूनी एवं तथ्यों की भूल की है। इस प्रकार प्रथम अपीलीय न्यायालय ने बिना किसी विचारण के आक्षेपित निर्णय पारित कर अपने अधिकार क्षेत्र का दुरूपयोग किया है। अपने तर्को के समर्थन में उन्होंने 2007 (1) (राज) 16, 2005 (1) आर.एल.डब्ल्यू (राज.) 192 (6), 1994 आर. आर.डी. 179, 182, 1993 आर.आर.डी. 232, 2007 (2) आर.आर. टी. 895, 1995 आर.आर.डी. 60, 1978 ए.आई.आर. (राज.) 714 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर प्रथम अपीलीय न्यायाललय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28-8-2001 निरस्त किया जावे परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31-03-97 यथावत रखा जावे।

5- विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी/वादीगण ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा तनकीयात पर विवेचना उपलब्ध दस्तावेज व बयानात गवाहान के अनुसार न करते हुए स्वयं के कयास से तनकीयात एकमुश्त निर्णय अन्तिम पैराओं में करते हुए दावा को खारिज करने में कानूनी त्रुटि की है एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय ने तनकी नंबर-7 विरचित करते हुए सभी तनकियों पर अजसरेनौ निर्णय पारित करने के प्रतिप्रेषण के आदेश इसलिए कानूनसम्मत है कि वादीगण इस भूमि के राजस्व रिकार्ड के अनुसार खातेदार हैं तथा उन्हें अधिकार है कि वे धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत भूमि का कब्जा कानूनन अतिक्रमियों से प्राप्त कर सकें। इसलिए प्रथम अपीलय न्यायालय को यह आवश्यक नहीं था कि वह स्वयं के स्तर पर तनकियों का निर्णय करती बल्कि परीक्षण न्यायालय

द्वारा विरचित तनकी संख्या–7 अस्पष्ट रूप से निर्मित की थी, उसे जवाबदावे के अतिरिक्त कथन की मद संख्या–5 में किए विशिष्ट कथन व राजस्व मण्डल के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में संशोधित करना तथ्य व कानूनी तौर पर सुसंगत है जिसका भी विनिश्चय अन्य तनकियों के पुनर्परीक्षण के साथ साथ परीक्षण न्यायालय को करना है ताकि न केवल रेस्ज्यूडीकेटा का बिन्दु ही स्पष्ट हो, बल्कि रहन मुर्तहिन के इन्द्राजात से धारा 43 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों में परीक्षण हो पाता। विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्दृत न्यायिक दृष्टांतो के तथ्यों को हस्तगत् प्रकरण से भिन्न बताते हुए तर्क दिया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28–8–2001 में हस्तक्षेप करने की गुन्जाईश नहीं है एवं अपील में उठाये आक्षेप सारहीन व अप्रासंगिक है। अतः अपील खारिज की जावे।

6– प्रत्युत्तर में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पूर्व में विरचित तनकी संख्या–7 व प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा निर्मित तनकी संख्या–7 के सार व तथ्यों में अन्तर है ही नहीं एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विरचित तनकी ही प्रत्यर्थी द्वारा कानूनन होना कथित है तो परीक्षण न्यायालय के सम्मुख तनकी विरचन के दौरान ही राजस्व मण्डल के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में ही रेसज्यूडीकेटा का सिद्धान्त लागू होना कथित कर सकते थे परन्तु ऐसा नहीं किया जाना ही इस तथ्य का संकेत है कि वे स्वयं परीक्षण न्यायालय द्वारा विरचित तनकी संख्या–7 की संरचना से सहमत थे। विद्वान अधिवक्ता ने अपील स्वीकार कर प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय को अपास्त करने की प्रार्थना की।

7– हमनें विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया जिससे हम यह पाते हैं कि वादीगण/प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण के विरूद्ध प्रथम अपील में आक्षेप अंकित किया है कि प्रतिवादी/अपीलार्थी विवादित भूमि पर रहनग्रहिता की हैसियत से काबिज है, जो बेदखली के दायी हैं। इस

संबंध में प्रस्तुत साक्ष्य की समुचित विवेचना परीक्षण न्यायालय ने नहीं करके वादीगण/ प्रत्यर्थीगण का दावा खारिज किया है। वादीगण/प्रत्यर्थीगण द्वारा भू–प्रबन्ध कार्यवाही में हुए परिवर्तन को भी अवैधानिक होना कथित किया है और इन प्रविष्टियों से संबंधित कानूनी प्रावधानों की अन्देखी परीक्षण न्यायालय द्वारा की जाना कथित किया है। इन कारणों को आधार बनाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को अपास्त करने की प्रार्थना की गई थी।

8– प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 28–8–2001 के अन्तिम पैरा में मात्र तनकी संख्या–7 की संरचना को संशोधित करके सम्पूर्ण निर्णय को अपास्त किया है, अन्य तनकियों पर परीक्षण न्यायालय द्वारा की गयी विवेचना पर कोई स्वविवेक से व्याख्या नहीं की गई है तथा प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया है। जबकि व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 23, 24, 25 के अनुसार प्रत्येक तनकी का विवेचन स्वयं के स्तर पर उपलब्ध साक्ष्य सबूतों के आधार पर करना चाहिए था परन्तु ऐसा नहीं किया गया।

9– हमारे समक्ष यह बिन्दु है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा की गयी उक्त अनदेखी का परीक्षण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय पर क्या असर है? जिसका परीक्षण द्वितीय अपील स्तर पर अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में हमारे द्वारा परीक्षण न्यायालय के तनकीवार निर्णय का अध्ययन करने पर यह स्थिति सामने आई है कि रहन के विषय में असल दस्तावेज वादीगण/ प्रत्यर्थीगण प्रस्तुत ही नहीं कर सके थे और उनका कथन था कि प्रतिवादीगण/ अपीलार्थीगण के कब्जे में रहन का असल दस्तावेज है तथा अन्य साक्ष्य से भी वे यह प्रमाणित नहीं कर सके कि उनके द्वारा कब्जा कब दिया गया एवं अन्तिम कब्जेदार/ हस्तान्तरी के विरूद्ध दावा क्योंकर नहीं लाया गया। इन कानूनी बिन्दुओं पर तनकी संख्या 4,5 व 6 का विनिश्चय होने से तनकी संख्या–3 का निर्णय वादीगण/प्रत्यर्थीगण के विपरीत होने की स्थिति ही बनती है। अतः परीक्षण न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्य व तथ्यों पर गौर कर ही दावा खारिज किया है। वादीगण/प्रत्यर्थीगण ने प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा

परीक्षण न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्य सबूत पर गौर नहीं करने एवं भू प्रबंध कार्यवाहीयों में प्रविष्टियों में परिवर्तन सम्बन्धी प्रावधानों की अनदेखी का जो आक्षेप किया है, वह आक्षेप भ्रामक व सारहीन है। इस प्रकार प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा परीक्षण न्यायालय के तनकीवार, साक्ष्य, सबूत के विवेचन और विनिश्चयों की अनदेखी करके परीक्षण न्यायालय के निर्णय को अपास्त करने में कानूनी त्रुटि की है।

10- जहां तक तनकी संख्या-7 की विरचना में संशोधन करने के आक्षेप का प्रश्न है, के सम्बन्ध में स्पष्ट है कि पूर्व में परीक्षण न्यायालय द्वारा विरचित तनकी संख्या-7 व प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विरचित तनकी संख्या-7, प्रतिवादीगण के जवाबदावे के अतिरिक्त कथन के मद संख्या-5 में लिये गये आधार (stand) पर ही विरचित है। अतः प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा इस मद नम्बर-5 के विषय में विरचित तनकी पर भी परीक्षण न्यायालय ने साक्ष्य का समुचित विवेचन करके ही रेसज्यूडीकेटा से दावे को बाधित होने की finding दी है और इसके विवेचन में राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 21-10-1975 का भी उल्लेख किया है। प्रदर्श पी-3 निर्णय उपखण्ड अधिकारी, उदयपुर दिनांक 30-12-1995 का भी दावे पर यह असर है कि वादीगण/प्रत्यर्थीगण से कब्जा अन्य व्यक्तियों को दिलाने की डिक्री की है। यानि प्रत्यर्थीगण-वादीगण विवादित भूमि पर काबिज थे ही नहीं बल्कि रहन भी वर्तमान प्रकरण में सिद्ध नहीं कर पाये। अतः धारा 43(क)राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान का भी उनको समर्थन नहीं मिल सकता। अतः प्रथम अपीलीय न्यायलय द्वारा अविवेकपूर्ण तरीके से तनकी सं0-7 की विरचना करके प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया है और अपीलार्थी-प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उद्दत न्यायिक दृष्टांतो के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आदेश 41 नियम 23,24 व 25 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के आज्ञापक निर्देशों के विपरीत निर्णय पारित कर प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया है, जबकि उनके समक्ष परीक्षण न्यायालय की पत्रावली पर समस्त व पर्याप्त साक्ष्य/सबूत उपलब्ध थे, यहां तक कि तनकी सं0-7 के प्रासंगिक दस्तावेज भी उनके समक्ष उपलब्ध थे परन्तु

उन्होंने उन पर गौर करने की जहमत नहीं की । उद्धृत न्यायिक दृष्टांत 2005 आर.एल.डब्ल्यू (1) (राज.) (9) (बी), 1994 आर.आर.डी. 179, 1994 आर.आर.डी. 182, 1993 आर.आर.डी. 132, 1978 ए.आई. आर. (राज.) 14, 2007 (1) डी.एन.जे. (राज)16 से स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण द्वारा अपील में उठाये गये उज्रात उक्त विवेचन के प्रकाश में सारपूर्ण होने से अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

11– परिणामतः यह द्वितीय अपील स्वीकार की जाती है एवं न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28–8–2001 अपास्त किया जाता है तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31–03–1997 कायम रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सूरजभान जैमन)
सदस्य

(वी0 श्रीनिवास)
अध्यक्ष